कार्यसूची सं.	**1**
बैठक का दिनांक	**10.08.16**
बैठक सं.	**56**

दिनांक 11 मई, 2016 को आयोजित 55 वीं एस एल बी सी बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि

- दिनांक **11 मई , 2016** को आयोजित 55 वीं एस एल बी सी बैठक के कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किए गए हैं |
- सभा के द्वारा उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है क्योंकि इस संबंध में संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नही हुआ है।

कार्यसूची सं.	**2**
बैठक का दिनांक	**10.08.16**
बैठक सं.	**55**

पूर्व मे आयोजित एस एल बी सी बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत रिपोर्ट

राज्य सरकार से संबंधित मामले

क्र.स.	से लंबित	विषय	झारखण्ड सरकार द्वारा पर्स्तुत बर्तमान स्थिति
3.1.1	**22.03.2002**	<u>भूमि अभिलेखों का अद्यतन**(Updation)** और टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक संशोधन (एस पी टी एवं सी एन टी अधिनियम)</u> राज्य सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों का अद्यतन करना एवं टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक परिवर्तन करना प्रस्तावित था जिससे कि, **1.** किसानों के द्वारा कृषि ऋण के आवेदन देते समय वे भूमि अभिलेख , जो की **R.B.I** के नियमों के तहत अनिवार्य है , बैंकों को उपलब्ध करा सके| **2.** राज्य के किसान एवं उद्यमी भूमि को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख कर कृषि, **MSE,**शिक्षा एवं आवास ऋण प्राप्त कर सके।	(क) भू-अभिलेखों का डिजटाईजेशन – झारखण्ड राज्य के कुल 263 अंचलों में भू-अभिलेखों का डिजटाईजेशन का कार्य प्रगति पर है, जिनमे अब तक कुल 69 अंचलों का कार्य सभी स्तर से पूर्ण हो चूका है | शेष अंचलों में 30.09.16 तक डिजटाईजेशन का कार्य पूरा कर लेने के लिये विभागीय निदेश दिया जा चूका है | (ख) **सी.एन.टी एवं एस.पी.टी अधिनियम में संशोधन**- बैंकों से ऋण सुविधा आसानी से प्राप्त हो सके इसके लिए तैयार किया गया संशोधन प्रस्ताव विचारार्थ माननीय मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षता में गठित कमिटी के समक्ष भेजा गया है | अब तक कमिटी से कोई भी मंतव्य/सुझाव प्राप्त नही हुआ है | विभागीय पत्रांक: 3263 दी:30.05.16 द्वारा कल्याण विभाग को उक्त संवंध में त्वरित कार्रवाई करने हेतु संसूचित किया गया है |
3.1.2.	**22.03.2005**	**<u>पी डी आर अधिनियम में संशोधन</u> – राज्य सरकार के द्वारा , एम पी और यू पी रिकवरी अधिनियम के तर्ज पर, जरुरी संशोधन करने का प्रस्ताव था, जिस के अनुसार बैंकों के द्वारा अपफ्रॉन्ट कोर्ट फीस के भुगतान न कर , रिकवरी की राशि से ही कोर्ट फी का भुगतान करना था एवं रिकवरी अधिकारी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के संशोधित प्राबधान लागू करने का प्रस्ताव था |**	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (झारखण्ड सरकार अधिसूचना संख्या 127 दिनांक 16.02.2013 के तहत 25% कोर्ट फीस का अपफ्रॉन्ट भुगतान, एवं शेष 75% का Case निष्पादन के बाद भुगतान करने के लिए अधिनियम की धारा 5 में बदलाव किया है,जो प्रस्ताव से भिन्न है| **<u>कुछ जिलों में उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भी कार्रवाई नही हो रही थी।</u>** **<u>प्रधान सचिव , योजना एवं वित्त भाग ,झारखण्ड सरकार</u>** **<u>के द्वारा सभी जिला के उपायुक्तों को दिनांक: 9.02.16 को आयोजित बैठक में जिला स्तर पर अनुपालन हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं |</u>**
3.1.4.	**20.03.2009**	**" बिहार मनी लेन्डर एक्ट 1974 एवं नियम " जो झारखण्ड में लागू है, में संशोधन** **46 वें बैठक में तय समय सीमा – 01 माह बिहार में लागू अधिनियम की प्रति झारखण्ड सरकार को समिति द्वारा प्रदान किया गया है।**	RBI की तकनीकी ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर Advocate General से परामर्श लिया गया, जिसमे उन्होंने एक Expert Panel जिनकी इस विषय पर expertise प्राप्त हो, के गठन का परामर्श दिया है| EXPERT पैनल का गठन कर लिया गया है एवं इस कमिटी का द्वितीय बैठक दिनांक 24.06.16 को संपन्न हुई जिसमे यथाशीघ्र बिहार(झारखण्ड) साहूकारी अधिनियम,1974, संशोधन 2016 का बिल प्रारूप उक्त कमिटी के समक्ष रखने हेतु निदेश दिया गया |उक्त निदेश के आलोक में उक्त बिल का प्रारूप कमिटी के समक्ष अनुमोदनार्थ उपलब्ध किया जाएगा, अनुमोदन के उपरांत मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्ति हेतु बिल का प्रारूप के साथ संलेख प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा |
3.1.5.	**29.09.2010**	**राज्य के सभी जिलों में, बैंकों में बकाया राशि की वसूली हेतु समर्पित वसूली अधिकारी (Dedicated Certficate**	लोक्मांग वसूली अधिनियम, 1914 में प्रस्तावित संशोधन विधेयक विधान सभा से विधिवत पारित होने का उपरांत माननीय राज्यपाल सचिवालय के माध्यम से माननीय

		**Officer) को बहाल किया जाना	**	राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजा गया है, अभी तक सहमति प्राप्त नही हो सकी है	
3.1.6.	**19.02.2002**	राज्य में बैंक के खजाने की रक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था **46वें बैठक में तय की गई समय सीमा – 02 माह**	**SLBC, RBI एवं गृह विभाग के संवंधित विभाग के साथ समन्वय कर बैठक कर लिया गया है	SLBC की उप-समिति की बैठक दिनांक 29.04.16 के निर्णय के आलोक में में सभी जिला पुलिस अधीक्षक को झारखण्ड पुलिस के द्वारा CURRENCY CHEST की रक्षा एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु निर्देश दिया गया है	**
3.1.7.	**01.12.2008**	**आरसेटी हेतु भूमि का आवंटन** .	• **सभी जिलों में भूमि आवंटित कर दि गई है |**
3.1.8	**9.05.13**	**नगरपालिका प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी की घोषणा हेतु अधिसूचना।**	ड्राफ्ट उपविधियां तैयार होने की प्रक्रिया में है	
3.1.9	**27.05.14**	रांची में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रण कार्यालय,, एसएलबीसी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन।	**झारखंड सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक व नाबार्ड के कार्यालयों हेतु भूमि आवंटित किया गया |** **झारखंड सरकार के द्वारा , उपायुक्त , रांची** **को,SLBC व BOI के संयुक्त प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने का आदेश पारित किया गया पर इसमें आवंटन की सूचना अप्राप्त है |**
3.1.10	**11.05.16**	**Green Kisan Credit Card** योजना के द्वारा गुजरात के डांग जिले में आदिवासिओं के पेड़ों पर सरल micro credit उपलब्ध करायी जा रही है	चूँकि झारखण्ड राज्य में भी आदिवासि जनसंख्या एवं प्राकृतिक वनसंपदा का बहुतायत में है इसलिए इस योजना को झारखण्ड राज्य में भी सफल रूप से संचालित किया जा सकता है		**झारखण्ड सरकार द्वारा वन निगम, झारखण्ड से योजना के प्रारूप के बारे में अपेक्षित दिशा निर्देश के संवंध में कार्रवाई पर निर्णय लिया जाना है	इस विषय पर निर्णय लेने के लिए 55 वीं SLBC बैठक के दौरान,झारखण्ड सरकार द्वारा वन निगम,राजस्व विभाग, कल्याण विभाग, slbc एवं RBI का संयुक्त समिति बनाने का निर्णय लिया गया था	यह समिति का अब तक गठन नही हो सका है |**
3.1.11	**11.05.16**	**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि उप समिति के दिनांक: 3.05.16 को आयोजित बैठक में झारखण्ड सरकार के द्वारा रु 1.00 लाख से अधिक कृषि-ऋण पर आवश्यक रूप से लिए जाने वाले भूमि बंधक /COLLATERAL सिक्यूरिटी के बदले उन ऋण खातों में राज्य सरकार की गारंटी लिए जाने की प्रस्ताव दिया गया है	**	**कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से अध्यतन जानकारी अप्राप्त	इस विषय में निर्णय लेने के लिए विभिन्न विभागों जैसे वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, NABARD एवं बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाना है	**

बैंक से संबधित मामले **Issues Pertaining To Banks**

क्रं.स.	से लंबित	मामले	बर्तमान स्थिति
3.1.11	**2013**	**आरसेटी भवन का निर्माण कार्य बीओआई, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, केनरा बैंक द्वारा शुरू नही किया गया है।** **संलग्नक सं. में लम्बित विवरणी संलग्न है।**	• **निम्नलिखित जिलों में RSETI भवन निर्माण का कार्य आवंटित बैंकों के द्वारा प्रारंभ नही किया गया ,** **a. SBI –पाकुर में lease deed नही हुआ एवं लातेहार, पलामू एवं साहिबगंज भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नही किया गया।** **रांची जिला में आवंटित भूमि पर SBI द्वारा POSSESSION नही लिया गया है।** **b. PNB – रामगढ में कोई प्रगति नही, आवंटित भूमि का MOU या लीज नही हुआ।** **c. Canara Bank – सिल्ली Rudseti में भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नही हुया।**
	मई 2015	**RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त CANDIDATES का बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाना।**	इस वित्तीय वर्ष में केवल 82 प्रशिक्षित अभ्यर्थी को बैंकों से ऋण प्राप्त हुआ । RSETI जमशेदपुर,,लोहरदगा,चाईबासा,सराइकेला, गडवा एवं RUDSETI सिल्ली को छोड़ बंकि सभी RSETI का प्रगति शून्य , राज्य निदेशक, RSETI से आग्रह है की वें स्थिति स्पष्ट करें।

कार्यसूची सं.	**3**
बैठक दिनांक	**10.08.16**
बैठक सं.	**56**

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक (KEY INDICATORS)

(Rs. in crore)

Sl. No	KEY INDICATORS	30.06.15	31.03.16	30.06.16	Bench Mark
1	**Deposit**	141421.81	151224.54	161142.82	
2	**Credit**	66261.20	70728.48	72702.97	
3	**Credit as per place of utilization* & RIDF****	20339.04	20923.84	23105.36	
4	**Total Credit**	86600.24	91652.32	95808.33	
5	**CD Ratio (%)**	61.24	60.61	59.46	60
6	**Priority Sector Advances (PSA)**	33710.73	38803.93	39245.78	
7	**Share of PSA to Total Advances(%)**	50.87	54.86	53.98	40
8	**Agricultural Advances**	11780.34	12858.56	12773.12	
9	**Share of Agricultural Advances to Total Advances (%)**	17.78	18.18	17.57	18
10	**i.Micro & Small Enterprises Advance**	12945.03	16458.93	17089.37	
	iii.Share of Micro & Small Enterprises to Total Advances (%)	19.53%	23.27%	23.50	
	ii.Share of Micro Enterprises in MSE	52.84%	54.61%	54.23%	
12	**Advances to Weaker Sections**	11558.59	14689.94	14769.44	
13	**Share of Weaker Section Advances to Total Advances (%)**	17.44%	20.76%	20.31%	10
14	**DRI Advances**	29.00%	38.66	39.23	
15	**Share of DRI Advances to Total Advances of last March (%)**	0.04	0.05%	0.05%	1
16	**Advances to Women**	12234.64	16236.82	16272.59	
17	**Share of advances to women in Total advances (ANBC) (%)**	18.46	22.95	22.38	5
18	**Advances to Minorities (Amount)**	4976.72	5291.94	5481.74	
19	**Share of Advances to Minorities under PSC (%)**	14.76%	13.63%	13.96%	15
20	**N.P.A**	3957.46	4597.98	4460.32	
	PERCENTAGE TO GROSS-CREDIT	5.97	6.50	6.13	
21	**Branch Net-Work (in no.)-Rural** **Semi-Urban** **Urban** **Total**	1429 720 652 2801	1469 745 694 2908	1474 751 694 2919	
22	**ATM installed in Jharkhand**	2638	2780	2809	

	बैंकों के द्वारा दी जा रही आनुसांगिक सेवाएँ ,		
1	RSETI & RUDSETI	RSETI	**24**
		RUDSETI	**1**
2.	FINANCIAL LITERACY CAMPS	COMMERCIAL BANKS	**1903**
		R.R.B	**466**
3.	**COVERAGE OF SSA WITH BANKING FACILITIES**	SSA COVERED WITH BANKING FACILITIES	4057
		MICRO A.T.Ms	**1296**

पर्यवेक्षण

जमा वृद्धि

झारखंड राज्य में बैंकों की सकल जमा में पिछले एक साल में, यानि 30 जून,2015 से 30जून, 2016 तक **रूपये**.19,721.01 करोड़ की वर्ष-वार वृद्धि हुई है, **30 जून, 2016 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार** वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का दर 13.94 प्रतिशत दर्ज की गई है|

ऋण वृद्धि

राज्य में बैंकों के कुल क्रेडिट में पिछले एक साल में **रूपये** 6441.77 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई , **30 जून, 2016 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल ऋण** वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का दर 9.72 प्रतिशत दर्ज की गई है|

क्रेडिट – जमा अनुपात (C.D Ratio)

बैंकों का सीडी अनुपात **60.61 % से** पिछले तीन महीनों में घट कर, 59.46 % हो गया है,
(**31 मार्च, 2016 से 30 जून, 2016 तक**) , इसका मूल कारण पिछले तीन महीनों में जमा राशि में रु. 9918.28 की वृद्धि हुई है जब की ऋण-राशि में सिर्फ रु.1974.49 की वृद्धि हुई है, वैसे जून तिमाही वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही है, साधारणत: जून तिमाही में ऋण-स्वीकृति की मात्रा दुसरे तिमाही के अपेक्षा कम होती है | यह आशा किया जा सकता है की आने वाले तिमाही में C.D RATIO में अपेक्षित वृद्धि हो पायेगी |

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में वर्ष–दर-वर्ष आधार पर **30 जून, 2016** को रू. 5535.05 करोड़ (16.42 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्तमान में समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 53.98 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40 प्रतिशत से काफी ज्यादा है।

कृषि अग्रिमAgriculture Credit

30 जून, 2016 को कृषि अग्रिम रू. 12773.12 करोड़ है जो कुल अग्रिम का 17.57 प्रतिशत है। पिछले एक साल में कृषि ऋण में कुल रू. 992.78 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है यानि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.42 प्रतिशत की वृद्धि है।

कमजोर वर्गWeaker Section

झारखण्ड राज्य में कमजोर वर्ग को रूपये 14769.44 करोड़ (20.31 प्रतिशत) का ऋण दिया गया है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 10 प्रतिशत से काफ़ी बेहतर है।

महिलाओं को ऋण Advance to Women

30 जून ,2016 तक महिलाओं को रूपये 16272.59 करोड़ का ऋण दिया गया है जिसमें वर्ष –दर- वर्ष आधार पर रूपये 4037.95 करोड़ वृद्धि दर्ज की गई है, जो की लगभग 33 % वृद्धि है |

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण Advance to Minority Community

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 4976.72 करोड़ से, पिछले एक साल मे बढ़ कर रूपये 5481.74 करोड़ रूपये हो गया है । इसमें वर्ष –दर –वर्ष आधार पर 10.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 13.96 % है , जो मानक 15 प्रतिशत से थोडा कम है |

30 जून, 2016 को राज्य का ऋण-जमा अनुपात

भारतीय रिजर्व बैंक के MASTER CIRCULAR. No – RPCD.CO.LBS.BC.No. 9/02.01.001/2014-15 , **दिनांक** 1.07.14 **के अनुसार बैंकों का ऋण जमा अनुपात का मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर (एस एल बी सी) उपयोग और आर आई डी एफ के अनुसार किया जाना है।**

तदनुसार, झारखण्ड राज्य का ऋण –जमा अनुपात निम्नवत है :-

(Rs **in crore)**

DETAILS		30th June, 2015	30th June, 2016	
Aggregate Deposits		141421.81		161142.82
CORE ADVANCES	66261.20		72702.97	
As per place of Utilization	17040.92		19254.53	
RIDF	3298.12		3850.83	
NET ADVANCES	86600.24		95808.33	
ऋण-जमा अनुपात		61.23		59.46

(परिशिष्ट-4, परिशिष्ट - 5)

नोट : कृपया ऋण – जमा अनुपात का विस्तृत विश्लेषण हेतु संलग्नक का संदर्भ लें जिसमें विभिन्न पैरामीटर ग्रामीण/अर्द्धशहरी/शहरी केन्द्र, बैंकवार और जिलावार समीक्षा आदि संबंधित पूर्ण विवरण संलग्न है।

कार्यसूची सं.	4
बैठक का दिनांक	**10.08.16**
बैठक संख्या	**56**

4.1 वाषिक ऋण योजना 2016-17 के तहत्त :
उपलब्धियों की समीक्षा : 30 जून, 2016 तक

समग्र स्थिति

30 जून, 2016 की स्थिति के अनुसार वार्षिक ऋण योजना 2016-17 के क्रियान्वयन में बैंकों का पिछले वर्ष की तुलना में सेक्टर वार उपलब्धि:

(रू करोड़ में)

SECTOR	ANNUAL TARGET (2015-16)	ACHIEVEMENT IN AFY 2015-16 (Up to 30.06.15)	ANNUAL TARGET (2016-17)	ACHIEVEMENT IN AFY 2016-17 (Up to 30.06.16)

	AMT	AMT.	%	AMT.	AMT	%
1	2	3	4	5	6	7
Agriculture	**7078.38**	1043.54	14.74	**7356.42**	909.50	**12.36**
MSE	**6130.67**	2976.29	48.55	**6526.97**	3195.53	**48.95**
OPS	**3097.87**	758.07	24.47	**3361.72**	587.58	**17.47**
Total Priority	**16306.92**	4777.90	29.30	**17245.11**	4692.61	**27.21**
Non Priority	**10616.76**	5215.10	49.12	**10361.68**	2926.67	**28.24**
Total	**26923.68**	**9993.00**	**37.12**	**27606.79**	**7619.28**	**27.60**

टिप्पणियां :

- **वार्षिक ऋण योजना 2016-17 में, वार्षिक ऋण योजना 2015-16 की तुलना में पहली तिमाही में समग्र ऋण के संवितरण में ह्रास हुई है। यह चिंताजनक बिषय है। उपस्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों को इस बिंदु पर विशेष दृष्टि आकर्षण किया जा रहा है |**
- **कृषि क्षेत्र में, वार्षिक ऋण योजना 2016-17 की पहली तिमाही में रु 909.50 करोड़ रुपये का शुद्ध संवितरण हुई है, जो कि पिछले वित्त-वर्ष के पहले तिमाही के दौरान किये गए संवितरण से रु. 134.04 करोड़ कम है, जब कि पिछले वर्षों के प्रत्येक तिमाहिओं में कृषि ऋण की संवितरण में तुलनात्मक वृद्धि हो रही थी, सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है की वें संयुक्त रूप से इसका निदान ढूंढें |**
- झारखंड राज्य के बैंकों को राज्य के बाहर मंजूर किये गए क्रेडिट सीमा जिन्हें झारखंड के अंदर उपयोग किया जा रहा हो, उन संवितरणों को राज्य में स्थित बैंकों के शाखाओं के द्वारा किये गये संवितरण के साथ समाहित करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय से संपर्क करना चाहिए |
- साथ ही, C.D Ratio निर्धारण के समय इस बात पर भी यथोचित सावधानी बरती जानी चाहिए कि "झारखण्ड के बाहर स्वीकृत परंतु झारखण्ड राज्य के अंदर उपयोग में लाये जाने वाली ऋण राशि" को एक ही बार कुल ऋण OUTSTANDING के साथ जोड़ा जाय एवं C.D Ratio पर इसका दोहरा प्रभाव न पड़े |

कार्यसूची सं.	5
बैठक का दिनांक	10.08.16
बैठक संख्या	55

5. REVIEW OF LENDING ऋण की समीक्षा

5.1. कृषि एवं किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें केसीसी योजना भी शामिल है

राज्य में सभी बैंकों का कुल कृषि साख रू. 12773.12 करोड़ है जो सकल ऋण का **17.57 %** है। यह राष्ट्रीय मानक बेंचमार्क 18 प्रतिशत से थोडा कम है। बैंकों के नियंत्रक प्रमुख, नाबार्ड से आग्रह है की वित्तीय वर्ष 2015-16 के आने वाले तिमाहिओं में इसके लिए कारगर कदम उठाएं ताकि यह पुन : बेंच मार्क 18% से ज्यादा हो

झारखण्ड में के सी सी की स्थिति STATUS OF KCC IN JHARKHAND

(Amt. In Crores)

Type Of Banks	बैंको की श्रेणी	Disbursement During 16-17		Outstanding In KCC Accounts AS OF 30.06.16		Out of Total K.C.C at the end of Reporting Quarter (Standard Asset)	
		A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	Amt.
PSB	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	86991	221.60	1202111	3909.11	910466	3184.48
Pvt. Banks	निजी बैंक	1929	14.13	9830	72.99	9446	66.02
Total	कुल	88920	235.73	1211941	3982.10	919912	3250.50
RRB	आर आर बी	34052	100.94	356635	1082.52	325152	1014.80
Coop.Banks	कॉपरेटिव बैंक			11589	30.66		

Total	**कुल।**	122972	336.67	1580165	5095.28	1245064	4265.30

रुपे क्रेडिट कार्ड RuPay Credit Card

सभी सामान्य के सी सी खातों को दि : **31.03.2013** तक **Smart K.C.C** खातों मे परिवर्तित कर उन खातों मे आबश्यक तौर पर **Rupay Card** जारी कर देना था ,ताकि यह ए टी एम एवं पी ओ एस में भी कार्य कर सके। यह पाया गया है कि समस्त के सी सी धारकों को एक या अन्य कारणों से रुपे कार्ड जारी नही किया गया है।अब तक कुल **625619** रूपे कार्ड जारी किए गए हैं। (विवरण अनुलग्नक में संलग्न है). |

"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना"

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" का लोकार्पण किया गया है | इस योजना के तहत ऋणी एवं अऋणी किसानों को विभिन्न कारणों से होने वाले फसल-क्षति के समय एक व्यापक बीमा-कभर प्रदान किया जाता है | झारखण्ड राज्य में भी इस योजना का शुभारम्भ किया जा चुका है | झारखण्ड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 16-17 के लिए झारखण्ड राज्य की नोडल बीमा कंपनी के रूप में AGRICULTURE INSURANCE CO को अनुवंधित किया गया है | वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान खरीफ फसल के लिए इस योजना के तहत लगभग 168997 किसानो की premium राशि बैंकों द्वारा खाते से Debit किया जा चूका है, परंतू **Agriculture Insurance Company** को सिर्फ 5000 लाभुकों का premium राशि एवं proposal भेजी गई है, यध्यपि premium राशि AIC के पास जमा करने की CUT-OFF DATE 15.08.16 है, बैंकों से आग्रह है की जल्द से जल्द premium राशि AIC को भेज दें, AIC से आग्रह है की आच्छादित ऋण प्राप्त किसानों की कुल संख्या एवं संवंधित बैंक-वार विस्तृत जानकारी SLBC को CUT-OFF DATE के बाद उपलब्ध करवा दी जाय |

PMFBY से संवंधित PORTAL का संचालन अब तक शुरू नही की गई है, राज्य सरकार से आग्रह है की कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क कर PORTAL की संचालन की प्रारंभ किया जाय

5.2. (क) सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का बित्त पोषण

5.2.1. सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों का वित्त पोषण (एम एस ई) (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र)

(Accounts in Lacs) **(Amt. in crore)**

Sl. No.	Particular			Outstanding position as at the end of	
				June' 2015	June'2016
(1)	(2)			(3)	(4)
1	**Micro Enterprises**		**Accounts**	**2.30**	**3.99**
			Amount	**6839.77**	**9266.93**
	a.	Manufacturing Sector	Accounts	0.40	0.50
			Amount	1585.08	1968.45
	b.	Service Sector	Accounts	1.90	3.49
			Amount	5254.69	7298.48
2	**Small Enterprises**		**Accounts**	**0.93**	**0.89**
			Amount	**6105.25**	**7822.44**
	a.	Manufacturing Sector	Accounts	0.31	0.24
			Amount	2688.97	2832.16
	b.	Service Sector	Accounts	0.62	0.65
			Amount	3416.28	4990.28
3	**Total Micro and Small Enterprises (MSE sector)**		**Accounts**	**3.23**	**4.88**
			Amount	**12945.02**	**17089.37**
4.	**MEDIUM ENTERPRISES**				
a.	Manufacturing Sector		Accounts	0.03	0.03
			Amount	844.18	1116.94
b.	Service Sector		Accounts	0.26	0.28
			Amount	459.94	715.24
c.	**Total of Medium Enterprises**		**Accounts**	**0.29**	**0.31**
			Amount	**1304.12**	**1832.18**
TOTAL MSME (PRIORITY SECTOR ADVANCES)			**Accounts**	**3.52**	**5.19**
			Amount	**14249.14**	**18921.55**
5.	a.	Share of Credit to Micro Enterprises in total credit to MSE sector	Percent share of amounts (stipulation :60%)	52.84	**54.23**
	b.	Share of credit to MSE sector in NBC/ ANBC	Percent share of amount	19.53	**23.50**

COVERAGE UNDER CGTMSE(Collateral Free Loans Upto RS. 1.00 Crore in MSME)

(A/C in 000,Amt.in Cr.)

MSE up to Rs. 1.00 Crore						Coverage under CGTMSE					
MANUFACTURING		SERVICE		TOTAL		MANUFACTURING		SERVICE		TOTAL	
A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	A/C	A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	Amt.
81	4620.73	245	9362.19	326	13982.92	22	1399.85	66	2786.77	88	4186.62

टिप्पणियां

- झारखंड में कुल एमएसई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरूद्ध **जून, 2016**, मे 54.23 %है।
- झारखण्ड राज्य मे, 1 करोड़ की सीमा के अंदर कुल 326000 MSE ऋण खातें हैं,परंतु इनमे से केवल 88000 ऋण खातों में, यानी कि सिर्फ 27 % खातों में ही CGTMSE कवरेज लिया गया है |

5.2 (ख) "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना"

दिनांक 8 अप्रैल,2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कि गई | यह योजना मुख्यत: गैर-कृषि क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को बैंक द्वारा वित्त पोषण के लक्ष्य से शुरू की गई है | इस योजना की राज्य में प्राप्त उपलब्धि निम्नलिखित है,

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में झारखण्ड की उपलब्धि (01.04.16 से 30.06.16 तक)

(सं:000 में ,राशि करोड़ में)

शिशु		किशोर		तरुण		TOTAL	
NO	AMT	NO	AMT.	NO	AMT.	NO	AMT.
122565	78.00	5661	117.69	920	69.75	129146	266.00

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में झारखण्ड की उपलब्धि (08.04.15 से 31.03.16 तक)

शिशु		किशोर		तरुण		TOTAL	
NO	AMT	NO	AMT.	NO	AMT.	NO	AMT.
308799	446	32368	735	7002	484	348169	1665

5.3. शिक्षा ऋण Education loan

शिक्षा ऋण योजना के तहत्त बैंको का निष्पादन

(Amt. in crore)

Particulars	As on 30.06.15	As on 30.06.16				Total As on 30.06.16	GROWTH Y-O-Y IN EDU. LOAN	DISBURESEMENT MADE DURING AFY 2016-17 in ACP 16-17
		Public Sector Bank	Private Sector Bank	RRB	Coop. Bank			
No. of Account	60296	58689	139	939	1	59767	76.11	3560
Amount (In crore)	2170.78	2216.28	3.41	27.13	0.07	2246.89		152.81

- उपरुक्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि राज्य के बैंकों के शिक्षा ऋण में वर्ष-दर-वर्ष मामूली वृद्धि हुई है, SLBC पिछले कुछ तिमाहिओं से शिक्षा ऋण में वृद्धि हेतु प्रयासरत था | यध्यपि AFY 2016-17 की पहली तिमाही में 213 छात्रों को रु.40.09 करोड़ का संवितरण हुआ है, पर इसमें और ज्यादा गति प्रदान करने की आवश्यकता है | उपस्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है की शाखा स्तर पर ज्यादा शिक्षा-ऋण संवितरण हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दें |
- माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के द्वारा 54 वीं slbc बैठक के दौरान उपर्युक्त विषय पर एवं विशेष कर अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को शिक्षा-ऋण नही दिये जाने पर चिंता व्यक्त किया गया था | RBI के प्रावधानों के तहत रु. 4.00 लाख तक के शिक्षा-ऋण में किसी भी तरह के SECURITY की आवश्यकता नही है, एवं रु.7.50 लाख तक के बिना SECURITY या GUARANTEE पर दिया गया शिक्षा ऋण पर CREDIT GUARANTEE उपलब्ध है, इसीलिये रु 7.50 लाख तक के शिक्षा-ऋण C.N.T या S.P.T एक्ट के प्रभाव से मुक्त है, इसीलिये 54 वीं slbc बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि SC/ST संवर्ग के योग्य छात्रों को रु.7.50 लाख तक के शिक्षा ऋण देने के लिए बैंकों के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाय |

- राज्य के सभी बैंकों के द्वारा निम्नलिखित तरीकों से यह CAMPAIGN चलाया जाएगा,
  - **i.** इस campaign में वर्तमान में रु.4.00 लाख तक शिक्षा-ऋण प्राप्त अनुसूचित-जाति के छात्रों के संख्या के दोगुना छात्रों को रु.4.00 लाख तक शिक्षा-ऋण स्वीकृत करने की लक्ष्य रखा गया है |
  - **ii.** राज्य के विभिन्न शिक्षा-संस्थानों में शिक्षा ऋण संवितरण हेतु विशेष शिविरों का आयोजन.
  - **iii.** सभी जिला स्तर पर LDM व DLCC के द्वारा शिक्षा ऋण से संवंधित विशेष बैठक का आयोजन एवं जिला स्तर पर क्लोज मोनिटरिंग.
- 55वीं SLBC बैठक में, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस CAMPAIGN की शुभारंभ किया गया, एवं 25 SC/ST छात्रों को शिक्षा-ऋण वितरित किया गया |
- हाल ही में भारत सरकार के द्वारा Credit Guarantee Fund for Skill Development (CGFSSD) की शुरुआत की गई, इस योजना के तहत कोशल विकास हेतु लिए गए शिक्षा ऋण में गारंटी कवर प्रदान की जाएगी |
- इस अभियान का अब तक का उपलब्धि अलग से उपलब्ध करवाया गया है |

5.4- आवास ऋण

Performance of Banks under Housing loan Scheme

आवास ऋण योजना के तहत बैंकों के प्रदर्शन

(Amt.in Crore करोड़ में राशि)

Particulars	Up to 30.06.15	30.06..2016				Total Up to 30.06.16	Y-to-Y INCREASE	Disbursements made in ACP 15-16
		Public Sector Banks	Private Sector Banks	RRB	Coop. Banks			
No. of Account खाता की सं.	60296	61640	5249	566	1	67455	7159	3733
Amount राशि(In croreकरोड़ में)	2170.78	4888.65	461.63	39.15	3.11	5392.54	3221.76	380.81

5.5 CREDIT FLOW TO SPECIAL CATEGORY OF BORROWER (ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी हेतु ऋण प्रवाह)

5.5.1 अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ऋण प्रवाह

30 जून,2016 तक स्थिति निम्न है:

(Rs. In Crores)

30 JUNE 2015	% Share	30 JUNE, 2016	% Share

P.S.A	Loans to Minority Community		P.S.A	Loans to Minority Community	
33710.72	4320.28	10.26	39245.78	5481.74	13.96

5.5.2 महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह

30 जून, 2016 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है (रु .करोड़ में)

30 JUNE, 2015		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN	30 JUNE, 2016		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN
Gross Credit	Of which to Women		Gross Credit	Of which to Women	
66261.20	12234.64	18.46	72702.97	16272.59	22.38

5.5.3 डीआरआई के लिए ऋण प्रवाह(

30 जून, 2016 को इस क्षेत्र में बैंकों के प्रदर्शन, नीचे इस प्रकार है:

(Rs. in Crore करोड़ में रू .)

30TH JUNE, 2015		30TH JUNE, 2016		DRI Percentage in Net Credit
Net Credit	DRI	Net Credit	DRI	
66261.20	29	72702.97	39.23	0.05

SC/ST के लिए ऋण प्रवाह

30 जून, 2016 समाप्त तिमाही मे अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण प्रवाह की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है- :

(करोड़ में रू.)

30 JUNE, 2015		Percentage In Net-Credit	31 June, 2016		Percentage In Net-Credit
Net Credit	Loans to SC/ST		Net Credit	Loans to SC/ST	
66261.20	10852.35	16.38	72702.97	13235.08	18.20

5.6. Scheme for financing of Women SHG

एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

30 जून, 2016 तक झारखंड राज्य के एल.डब्लू.ई प्रभावित जिलों में NABARD योजना के तहत संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रगति निम्नानुसार है,

(रू करोड़ में)

जिलों की संख्या	18
ब्लाकों की संख्या	210
गैर सरकारी संगठन की संख्या	127

नवगठित डब्लू.एस.एच.जी की संख्या	49000
एसएचजी बचत लिंक्ड की संख्या	32949
एसएचजी ऋण लिंक्ड की संख्या	13854
स्वीकृत ऋण राशि (रु.करोड़ में)	608.21

5.7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

एन आर एल एम की उपलब्धि (30 जून, 2016 तक)

30 जून, 2016 *तक की गई मुख्य प्रगति – संचयी और वार्षिक*

(रू लाख में)

संकेतक Indicators	Status as on March'16	उपलब्धि Achievement in AFY-16-17	Cumulative achievement till date since Inception
No of Blocks	80	0	80
No of Villages	3603	386	3989
Total No of SHGs supported	27493	4119	**31612**

By SRLM			
Total fanilies supported by SRLM	347725	49666	**397391**
No of SHG receiving R.F	19580	1973	21553
Amt. of RF disbursed Rs. in Lakhs	2927.00	295.50	3222.50
No of SHG receiving CIF	15728	1596	17324
Amt. of CIF disbursed Rs. in Lakhs	9547.59	1130.35	10677.94
No of SHG credit linked with Banks	8637	538	**9175**
Amt. of Credit availed from Banks (Rs. in Lacs)	4418.50	279.00	4697.50

एजेंडा सं.	**6**
बैठक की तिथि	**10.08.16**
बैठक की संख्या	**56**

वित्तीय समावेशन
एवं
प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

A. **बी.सी (बैंक मित्रा) द्वारा एसएसए के कवरेज की स्थिति**

एसएसए की कुल संख्या	बी.सी द्वारा एसएसए का कवर (Fixed Location)	बैंक शाखा द्वारा एसएसए कवर	अनकवर्ड
4175	**3549**	**524**	**102**

B. **पीएमजीडीवाइ के तहत 30.06.16 तक खोले गए बीएसबीडी खातों की स्थिति।**

30.06.16 तक खोले गए बीएसबीडी खातों की संख्या			PMJDY खातों मे जारी किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	आधार Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या
ग्रामीण	शहरी	कुल		
5139206	1934422	7073628	5208263	4828907

" प्रधानमंत्री मंत्री जन-धन योजना "(PMJDY) में ध्यानाकर्षण योग्य बिंदु ,

1. हाल में वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार के द्वारा सभी SSA में बैंक-मित्र की मौजूदगी के बारे में फरवरी, 2016 के दौरान एक सर्वेक्षण की गयी थी और इनमे पाया गया था की उस समय 898 SSA में कोई भी बैंक मित्र कार्यरत नही थें, वें या तो अपने कार्य को छोड़ चुके थें या अधिकतर अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित नही रहते थें | 55 वीं SLBC बैठक के दौरान एवं तदोपोरांत सरकार दे द्वारा इस बात पर चिंता प्रकट किया गया | इस मुद्दे SLBC के द्वारा सभी नियंत्रक प्रमुखों का एक विशेष बैठक बुलाया गया एवं सभी बैंकों के द्वारा यह निर्णय लिया गया जल्द से जल्द रिक्त SSA में बैंक-मित्रों को पदस्थापित किया जाएगा | इसके फल स्वरुप 4175 SSA में से वर्तमान में बस 102 SSA में बैंक-मित्रों का पदस्थापन बचा हुआ है, इन अनाच्छादित SSA जिन बैंकों को आवंटित किया गया था (सूची SLBC के पास उपलब्ध), उनसे आग्रह है की वें अविलम्व इन SSA में बैंक-मित्रों का संचालन प्रारंभ करें |
2. मिशन डायरेक्टर , PMJDY द्वारा दिनांक : 28.07.15 को बुलाई गई एक बैठक में ,जिसमे सभी मुख्य बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित थें,यह निर्णय लिया गया कि
   i. सभी SSA में पदस्थापित , बैंक-मित्रों का सुचारू संचालन के जिम्मेदारी, आवंटित बैंक की नियंत्रक कार्यालय की होगी|
   ii. नियंत्रक कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि – प्रतिदिन प्रति बैंक मित्रों के औसत लेन-देन की संख्या न्यूनतम 50 हो|
   iii. सभी बैंकों के नियंत्रक कार्यालय,प्रतिमाह सभी बैंक मित्रों का लेन-देन का ब्यौरा, निहित प्रपत्र में ,जो की सभी बैंकों को उपलब्ध करवाया जा चुका है , DBT सेल , झारखंड सरकार को, उपलब्ध करेंगे |
   iv. सभी बैंक शाखाओं के शाखा प्रवंधक, प्रति माह,अपने शाखा से संवंधित बैंक-मित्रों का निरीक्षण के उपरांत निहित प्रपत्रों में नियंत्रक कार्यालय को निरीक्षण-रिपोर्ट जमा करेंगे |
   v. उपरुक्त निरीक्षण-रिपोर्ट के एक प्रति BLBC को शाखा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा,जिसके आधार पर BLBC बैंक मित्रों के कार्यों का Monitoring करेगी |
   vi. सभी बैंक शाखाओं में, ग्राहंकों को बैंक मित्रों से लेन-देन हेतु प्रेरित करने के लिए एक सूचना प्रदर्शित की जाएगी|
3. पीएमजीडीवाइ योजना के तहत खोला गया कुछ खातों में अब तक पास-बुक जारी नहीं किए गए हैं , सभी बैंको से यह आग्रह है की वे जल्द से जल्द सभी खातों में पास-बुक जारी करना सुनिश्चित करें|
4. यद्यपि पीएमजीडीवाइ योजना के तहत खोला गए खातों में अब तक कुल 5208263 रुपे कार्ड जारी किए गए , परन्तु प्राप्त सुचना के आधार पर यह पता चल रहा है की 4564165 रुपे कार्ड वितरित किये जा चुके है, परंतु 644098 रुपे कार्ड अब तक अवितरित है एवं 2623706 रुपे कार्ड अब तक Activated किये गये |

"प्रधानमंत्री जन-धन योजना" के द्वितीय चरण में, जन सुरक्षा हेतु, लागु किया गया, बिभिन्न बीमा एवं पेन्शन योजनाएं :

दिनांक: 30.06.16 तक इन योजनाओं में सभी बैंकों की उपलब्धि निम्नवर्णित है ,

PMJJBY		PMSBY		APY	
Total	Premium	Total	Premium	Total	Premium

Enrolments	Received By Auto Debit	Enrolments	Received By Auto Debit	Enrolments	Received By Auto Debit
486522	444493	1865903	1740878	51562	51362

<u>वित्तीय समावेशन एवं BRANCH EXPANSION पर भारतीय रिज़र्व बैंक का अद्यतन दिशानिर्देश</u>

- भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्यतन निर्देशानुसार 5000 से ज्यादा आवादी वाले सभी गाँवों में दिनांक :31.03.17 तक बैंक की शाखा खोलना अनिवार्य है | झारखण्ड राज्य में ऐसे 259 गाँवों को चिन्हित किया गया एवं पाया गया कि इनमे से 122 गाँवों में ही बैंक की शाखा मौजूद है , बाकी के 137 गाँवों को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर उन्हें सूचित किया गया |
- इस मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक के रोड मैप के अनुसार इनमे से 31 गाँवों में बैंकों के द्वारा जनवरी-मार्च,16 तिमाही में शाखा खोलना अनिवार्य था, पर विभिन्न कारणों के चलते यह गाँवों में शाखा नही खोला गया | सभी बैंकों के नियंत्रकों से आग्रह है कि SLBC द्वारा उनको भेजा गया आवंटन-सूची के अनुसार, इस योजना के तहत बनाया गया ROAD MAP के अनुसार सभी गाँवों में बैंक शाखा का संचालन आरंभ करें |
- 55 वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था की उपर्युक्त 31 गाँवों में 30 जून तक बैंक की शाखा खोल ली जाएगी परंतू सिर्फ 15 गाँवों में ही बैंकों द्वारा शाखा खोला गया | विस्तृत सूची संलग्न है | जीन बैंकों ने इस 31 गाँवों अपने आवंटित गाँवों में अब तक शाखा नही खोले हैं उनसे आग्रह है की वे अपने स्थिति स्पष्ट करें |

- जीन बैंकों के के द्वारा इन 31 गाँव में अपने आवंटित गाँवों में शाखा का संचालन प्रारंभ कर दिये गये हो, उनसे आग्रह है वे बांकी बचे हुए, (कुल 137 के सूची में) गाँवों में 31.03.17 से पहले शाखा खोल ले |

बैंक खातों में आधार संख्या Seeding

आधार अधिनियम का लागु होने के पश्चात् वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को यह दिशानिर्देश प्राप्त हुई की, आने वाले दिनों में सभी तरह के सरकारी भुगतान, जैसे की सरकारी अनुदान राशि, छात्रवृत्ति, मनरेगा मजदूरी इत्यादि **AADHAR ENABLED PAYMENT SYSTEM (AEPS)** के जरिये ही किया जाएगा | इस दिशानिर्देश के उपरांत झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के द्वारा आधार seeding को प्राथमिकता दी जा रही है, एवं सभी LDM के पास विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा लाभुकों के आधार संख्या से संवंधित BULK DATA उपलब्ध कराया जा रहा है, इस DATA को बैंक वार छांट कर LDM द्वारा जिला के सभी बैंकों के पास भेजा जा रहा है, परंतू यह देखा जा रहा है की जिला स्तर के कई शाखाओं में इस DATA की सीडिंग में विलम्व किया जा रहा है | झारखण्ड सरकार के द्वारा हर एक सप्ताह data seeding पर गहन monitoring की जा रही है |

दिनांक 1 अगस्त से 15 अगस्त, 2016 तक " आधार सीडिंग पखवाडा " मनाया जा रहा है |उपर्युक्त विन्दुओं के आलोक में सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है कि वें अपने शाखाओं को आधार seeding को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का दिशानिर्देश दें |

कार्यसूची सं	7
बैठक का दिनांक	10.08.16
बैठक सं	56

<u>एन पी ए & वसूली - एन पी ए/ बैंकों के स्ट्रेस्ड आस्तियों के रुकाव हेतु नियंत्रक उपाय एवं वसूली से संबधित उपाय</u>

गैर निष्पादनीय आस्तियां

राज्य के बैंकों में दी 30 जून ,2016 को एन पी ए की स्थिति निम्नवत है -:

[राशि करोड़ में]

विवरण	30.06.15	30.06.16	Y-TO-Y Growth	% Growth
Net Credit	66261.20	72702.97	6441.77	9.72
Net N.P.A	3957.46	4460.32	502.86	12.70
Percentage of N.P.A	***5.97***	***6.13***		

नोट : उपरोक्त राशि में रिटेन ऑफ (Written-Off) की राशि शामिल नही है।

i. **झारखंड राज्य में बैंकों की गैर निष्पादनीय अस्ति (N.P.A) , एक चिंताजनक स्थिति में पंहुच चुकी है |वर्ष-दर-वर्ष NPA में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है ,जो सकल अग्रिम की वृद्धि की गति से तेज है | रु 4460.32 करोड़ का NPA, जो सकल अग्रिम का 6.13 % है , एक चिंताजनक आंकड़ा है एवं RBI द्वारा निर्धारित मानक से काफी ज्यादा है |**
ii. **ज्यादा NPA बैंकों से नए ऋण-संवितरण में प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है एवं राज्य के अंदर नऐ ऋण की स्वीकृति में एक शंका के वातावरण का कारण बन रही है|**
iii. **NPA एवं उससे संवंधित PROVISIONING बैंकों की CAPITAL BASE पर प्रतिकूल असर डाल रही है |**
iv. **RBI, सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार को मिलकर इस समस्या की एक कारगर निदान निकालने की आवश्यकता है , बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागीओं से इस विषय पर चर्चा एवं सुझाव का अनुरोध किया जा रहा है |**

सर्टिफिकेट केस का स्थिति

राज्य के बैंकों में सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों की स्थिति इस प्रकार है:

[राशि करोड़ में]

Type of Bank	30.06.15		30.06.16	
	सं	राशि	संख्या	राशि
Commercial Bank	106849	364.82	90458	329.93
R.R.B	5767	17.93	6544	29.37
Total	**112616**	**382.75**	**97002**	**359.30**

सर्टिफिकेट केस की तिमाही निपटान की स्थिति निम्नवत है

[राशि करोड़ में]

बैंक	30.06.16

	संख्या	राशि
Commercial Bank	283	3.90
R.R.B	1021	13.55
Total	1304	**17.45**
	कुल 97002मामलों में से	

DRT केस की स्थिति

दिनांक 30, जून,2016 तक बैंकों के डी आर टी केसों की स्थिति इस प्रकार है :-

[राशि करोड़ में]

Status as Of 30.06.15		Cases Filed during JUNE,16 Quarter		Cases Resolved during JUNE,16 Quarter		Status as Of 30.06.16	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि
1905	653.47	109	35.56	25	16.43	2346	846.41

कार्यसूची सं	**8**
बैठक का दिनांक	**10.08.16**
बैठक सं	**56**

30.06.16 को सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम

8.1 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

दिनांक 30 जून, 2016 तक समग्र स्थिति

(राशि करोड़ में)

Target	Applications received	Applications sanctioned		Applications Disbursed		REJECTED	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
2083	264	162	6.20	129	3.61	63	39

- पीएमईजीपी के तहत आवेदनों का ई-ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित सेवाएँ अधिकांश बैंकों के द्वारा अपने बेवसाइट पर समाविष्ट नहीं किया है। बैंकों को अपने प्रधान कार्यालय से संपर्क कर इस सेवा की शुरुआत करनी चाहिए।

कार्यक्रम संख्या	**9**
बैठक की तारीख	**10.08.16**
बैठक संख्या	**56**

10. RSETI & FLC का परिचालन

झारखंड राज्य में आरसेटी की वर्तमान स्थिति निम्नांकित है :
(as of 30.09.15)
झारखन्ड राज्य के 24 जिलों में निम्नलिखित सूची के अनुसार , बिभिन्न बैंको के द्वारा 24 आरसेटी और 1 रुडसेटी संचालित किया जा रहा हैं |

बैंक ऑफ इंडिया - 11 जिले
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - 8 जिले
इलाहाबाद बैंक - 3 जिले
पंजाब नेशनल बैंक - 2 जिले
कुल 24 जिले
एवं रुडसेटी (रांची जिले की सिल्ली में केनरा एवं सिंडिकेट बैंक द्वारा संचालित) **1** जिला

- स्वतंत्र निदेशकों की पोस्टिंग :
  स्वतंत्र निदेशकों पदभार ग्रहण किया 25 केन्द्रों में
- आरसेटी के लिए परिसर की स्थिति निम्न है :
  किराए के परिसर 7 केन्द्रों में
  सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी परिसर (अस्थायी) 18 केन्द्रों में
- भूमि आवंटन की स्थिति
  भूमि आवंटित 25 केन्द्रों में
- भूमि स्थानांतरण की स्थिति
  भूमि स्थानांतरित- 25
- एम.ओ.आर.डी. दावा प्राप्ति की स्थिति : **21**

निदेशकों का प्रशिक्षण:
निदेशकों की संख्या जिन्होंने *टीटीपी प्रशिक्षण प्राप्त* किया 22 निदेशक
निदेशकों की संख्या जिन्होंने टीटीपी *प्रशिक्षण प्राप्त* नही किया - 3 निदेशक

AFY 16-17 का वार्षिक लक्ष्य :

Trainees की संख्या - 18885

AFY 16-17 के दौरान जून, 2016 तक आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :

Trainees की संख्या - 3462

RSETI भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति ,

भवन निर्माण कार्य सम्पूर्ण - 5
भवन निर्माण कार्य प्रगति पर - 8

RSETI प्रशिक्षार्थीयों की बैंकों से वित्तीय संवन्धता (CREDIT LINKAGE) की स्थिति :

AFY 2015-16 के दौरान		AFY 2016-17 के दौरान	
कुल प्रशिक्षार्थी	बैंकों से वित्तीय संवन्धता स्थापित	कुल प्रशिक्षार्थी	बैंकों से वित्तीय संवन्धता स्थापित
20179	**1530**	**3813**	**82**

नोट :

51वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी इच्छुक RSETI प्रशिक्षार्थीयों को अनिवार्य रूप से,उनके सेवा क्षेत्र के बैंक शाखाओं के द्वारा CREDIT LINKAGE स्थापित की जाएगी | RSETI निदेशकों के द्वारा बैंकों की संवंधित शाखाओं में आवेदन भेजे जाएँगे एवं आवेदनों की अस्वीकृति के अधिकार,केवल नियंत्रक कार्यालयों के पास ही रहेंगे | परंतू उपरोक्त आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि यद्दपि इस दिशा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है, परंतु उपलब्धि आशाजनक नही है, SPC , RSETI से यह आग्रह है की वें , इस विषय की MONITORING करें एवं अगर बैंक शाखाओं के द्वारा SLBC की उपरुक्त निर्णय का अनुपालन नहीं हो रहा है,तो उन शाखाओं का जिलावार व बैंकवार सूची SLBC को उपलब्ध कराएँ , ताकि संवंधित नियंत्रकों से इस मुद्दे का निष्पादन करवाया जा सके |

वित्तीय साक्षरता केंद्र का संचालन

आर.बी.आई के निर्देशानुसार , विभिन्न जिला स्तर पर संचालित सभी अग्रणी बैंकों को प्रत्येक LDM कार्यालयों में, समयबद्ध ढंग से एक वित्तीय साक्षरता केन्द्र का स्तापना करना अनिवार्य है | आर.बी.आई द्वारा यह निर्देश भी दिया गया की सभी बैंको के ग्रामीण शाखायों को आबश्यक तौर पर F.L.C Camp का आयोजन करना है| इसके अलावा बैंक दूसरों स्थानों पर भी आवश्यकता आधारित वित्तीय साक्षरता केन्द्रो की स्थापना पर विचार कर सकते हैं | वर्तमान में 19 वित्तीय साक्षरता केन्द्र)FLCs) झारखंड के राज्य में परिचालन कर रहे हैं :

बैंक का नाम	बैंक वित्तीय साक्षरता केन्द्र परिचालन **(जिला स्तर पर (**	**संख्या**
बीओआई	रांची, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम (प)एवं(पु) गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़	**10**
एसबीआई	देवघर, पाकुर, साहिबगंज, जामताड़ा, गढ़वा, लातेहर,पलामू	**7**
इलाहाबाद बैंक	दुमका व गोड्डा	**2**

उपरोक्त बैंको के अलावा निम्नलिखित ग्रामीण बैंको के द्वारा भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र का सञ्चालन किया जाता है ,

झारखण्ड ग्रामीण बैंक - 16 केन्द्र

वनांचल ग्रामीण बैंक - 9 केन्द्र

जून, 2016 तिमाही के दौरान आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर

मार्च तिमाही में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर की संख्या	
वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा	548
ग्रामीण शाखाओं द्वारा	1821
कुल	2369

वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार के द्वरा सभी I.T.I (सरकारी एवं गैर सरकारी) एवं VOCATIONAL TRAINING CENTER के प्रशिक्षनार्थियो को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु,व्यापक पैमाने पर एक परियोजना शुरू किया गया, जिसके तहत सभी बैंक शाखाओं एवं FLC केन्द्रों को I.T.I (सरकारी एवं गैर सरकारी) एवं VOCATIONAL TRAINING CENTER आवंटित किया गया |उन शाखाओं एवं FLC केन्द्रों को अपनी अपनी आवंटित संस्थाओं में संचालित सभी सत्रों में नियमित रूप से वित्तीय साक्षरता प्रदान करना पढ़ेगा | सभी नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है की वें इस विषय पर अपने बैंक की शाखा एवं FLC केन्द्रों को सूचित करें एवं नियमित रूप से इस विषय पर MONITORING करें |

कार्यक्रम सं	**10**
बैठक की तारीख	**10.08.16**
बैठक संख्या	**56**

एसएलबीसी के विभिन्न उप समितियों के कामकाज

पहले के एसएलबीसी की बैठकों में लिए गए निर्णय के संदर्भ में, एसएलबीसी के निम्नलिखित उप-समितियां कार्य कर रहे हैं। पिछली बैठक की स्थिति नीचे दी गई है:

एस.एल.बी.सी की उप समितियां :

SN	उप समिति के नाम	उप समिति के अध्यक्ष	उप समिति के अन्य सदस्यों में	संदर्भ की शर्तें	पिछली बैठक की तिथि
1.	कृषि तथा संबद्ध उप समिति	प्रमुख सचिव / (कृषि) सचिवGOJ संयोजक – नाबार्ड	1.प्रमुख सचिव सचिव / संस्थागत वित्त 2.प्रमुख सचिव सचिव /, जल संसाधन विभाग। 3. सचिव, वन विभाग। 4.नाबार्ड प्रमुख महाप्रबंधक या डीजीएम के स्तर के बराबर 5 (संयोजक बैंक एसएलबीसी) आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 9) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	1)कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां ,केसीसी सहित 2) नई परियोजना/स्कीम 3) ऋण देने के लिए क्षमता का विकास	**03.05.16**
2.	निर्यात संवर्धन	एसएलबीसी के संयोजक बैंक - संयोजक एसएलबीसी	1). प्रमुख सचिव सचिव / संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ 2 (भारतीय रिजर्व बैंक)विदेशी मुद्रा विभाग. एजीएम(3) स्थानीय निर्यात संस्था 4)उद्योग विभाग 5 (एक्जिम बैंक 6)अन्य सदस्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, और पीएनबी	1) निर्यात क्रेडिट के तहत ऋण देने की प्रगति की समीक्षा 2)कृषि हस्तकला /के निर्यात में सुधार के लिए सुझाव 3) निर्यात संवर्धन के लिए सक्षम कारक	**20.01.16**
3.	सुरक्षा	प्रमुख सचिव / सचिव (गृह), GOJ संयोजक- एसबीआई	1) प्रमुख सचिव सचिव / गृह विभाग 2) एडीजी / पुलिस महानिरीक्षक – परिचालन	1) बैंक के ट्रेजरी की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा 2) राज्य की कानून एवं	**29.04.16**

			3) प्रमुख सचिव सचिव / संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ 4) आरबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 5) संयोजक बैंक एसएलबीसी) आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि 7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 9) झारखंड ग्रामीण बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)	व्यवस्था की स्थिति के बारे नक्सल क्षेत्र में विशेष रूप से चर्चा करें 3) बैंक डकैती के मामलों में अंतिम रिपोर्ट 4) बैंक शाखाओं /करेंसी चेस्ट में पुलिस बल की तैनाती	
4.	सीडी अनुपात और एसीपी उप-समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	1) प्रमुख सचिव सचिव / संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ. 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4बैंक स्टेट भारतीय (5) बैंक ऑफ इंडिया 6) पंजाब नेशनल बैंक 7) झारखंड ग्रामीण बैंक 8) केनरा बैंक 9 (यूनियन बैंक	1) एसीपी की निगरानी उपलब्धि एवं अनुमानित सीडी अनुपात 2) खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए विशेष रणनीति 3) एसीपी के तहत ऋण देने में वृद्धि के लिए कारकों को सक्षम करने का विकास	**20.01.16**
5.	एसएलबीसी परिचालन समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक -	1) संस्थागत वित्त विभाग 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड	1) नवीनतम स्थिति और सरकार के पास	**20.01.16**

		एसएलबीसी	4) निदेशक, उद्योग 5) आईसीआईसीआई बैंक 6) केनरा बैंक 7) पंजाब नेशनल बैंक 8) बैंक ऑफ इंडिया 9) भारतीय स्टेट बैंक	लंबित मुद्देंबैंक / । 2) एसएलबीसी कामकाज में सुधार)बैंक / सरकार)	
6.	विधानमंडल और अन्य मुद्दे पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक- एसएलबीसी	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, सहकारी 3) सचिव, राजस्व 4) सचिव, कृषि 5) सचिव, योजना 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) बैंक ऑफ इंडिया 8) इलाहाबाद बैंक 9) भारतीय रिजर्व बैंक	विधानमंडल से संबंधित सभी मुद्दों पर, राज्य में ऋण के माध्यम से विकास के लिए संशोधन और अन्य गतिविधियों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त किया।	**02.02.15**
7.	एमएसएमई और सरकार पर उप-समिति, प्रायोजित योजनाएं	सचिव)ग्रामीण विकास(संयोजक- बीओआई	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, संस्थागत वित्त 3) सचिव, उद्योग 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक	सरकार के तहत प्रायोजित योजनाओं में एमएसएमई वित्तपोषण और वित्तपोषण से संबंधित सभी मुद्दे,	**30.12.15**को **RBI Empowered Com.on MSME** की बैठक बुलाया गया था
8	आवास वित्त पर उप-समिति	सचिव)शहरी विकास) संयोजक- एसबीआई	1) सचिव, शहरी विकास 2) सचिव, संस्थागत वित्त 3) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 7) दोनों ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष	आवास वित्त पोषण से संबंधित सभी मुद्दें) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र(	**07.08.15**
9	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर उप-समिति	सचिव)ग्रामीण विकास(संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	1) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, आईएफ और पीआई, GoJ 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) भारतीय स्टेट बैंक 6) बैंक ऑफ इंडिया 7) केनरा बैंक 8)पी.एन.बी. 9)जे.जी.बी.	आजीविका संवर्धन रणनीतियों पर राज्य स्तर समर्थन- झारखंड	**10.08.15**

			10) नाबार्ड		

NOTE : हमें खेद है की उप-समिति के कुछ सदस्यों का अत्यधिक व्यस्तता के कारण इस बार कुछ उप समितिओं का त्रैमासिक बैठक का आयोजन नही किया जा सका | इन सभी बैठकों का आयोजन आनेवाले दिनों में कर लिया जाएगा |

कार्यक्रम सं.	**11**
बैठक की तिथि	**10.08.16**
बैठक सं.	**56**

विविध कार्यसूची

1. RBI के वर्तमान दिशानिर्देश के अनुसार TIER ii से TIER IV केन्द्रों में पेयजल सुविधा एवं स्वच्छता सुविधा सहित घरेलु शौचालय के निर्माण/नवीनीकरण एवं घरेलु जल स्तर को बढाने से संवंधित , प्रति ऋण रु. 5 करोड़ के बैंक ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत SOCIAL इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्गीकृत किये गये है | पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार बैंकों द्वारा शौचालय निर्माण के लिए ऋण वितरण की गति वृद्धि के लिए अनुशंसा की गई है | सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों को इसके प्रति ध्यान आकर्षण किया जाता है |

   (प्रस्तावक : भारतीय रिज़र्व बैंक)

2. मियादी ऋण में ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों का अंशदान अत्यंत कम होने के कारण, इन बैंकों की मियादी ऋण में अपेक्षित वृद्धि हेतु रणनितिक कार्ययोजना बनाया जाय |

   (प्रस्तावक : NABARD)

3. SLBC बैठक में STAND UP INDIA योजना की लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा की जाय |

   (प्रस्तावक : NABARD)

4. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण परिवारवर्गों को कुल आय को साल 2022 तक दोगुना करने की लक्ष्य रखा गया है | इसे ध्यान में रखते हुए बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में ऋण संवितरण में अपेक्षित वृद्धि लाने की आवश्यकता है | उपस्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों का इस बिंदु के प्रति ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है |

   (प्रस्तावक : NABARD)

कार्यक्रम सं.	12
बैठक की तिथि	10.08.16
बैठक सं	56

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा ...

अगली SLBC बैठक की तिथि :
11 नवम्बर , 2016